रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 1987/फाल्गुन 12, 1908

No. 103] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 1987/PHALGUNA 12, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1987

अधिसूचना

का. आ. 158(अ) :- कयर बोर्ड (सेवा) उपविधि, 1983 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित उपविधियां, जो कयर बोर्ड द्वारा, कयर बोर्ड, (कारबार का संव्यवहार, कर्मचारियों की सेवा शर्तें और लेखाओं का रखा जाना) उपविधि, 1955 की उपविधि 15 के साथ पठित कयर उद्योग अधिनियम 1953 (1953 का 45) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई हैं, और जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गई है, उक्त धारा 27 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार प्रकाशित की जाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम कयर बोर्ड (सेवा) उपविधियां, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी।

2. कयर बोर्ड (सेवा) उपविधि, 1983 की अनुसूची में, "कनिष्ठ लेखा परीक्षक" के पद से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक (रंगाई)	6	"घ"	220-10-270 (पुनरीक्षण से पूर्व)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं	राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण और डिजाइन केन्द्र द्वारा संचालित कम से कम छः मास का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो और साथ ही रंगाई का तीन वर्ष का अनुभव हो।

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
8	9	10
राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण और डिजाइन केन्द्र द्वारा संचालित कम से कम छः मास का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो और साथ ही रंगाई का दो वर्ष का अनुभव हो।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	196—232 रुपये के वेतनमान वाले कर्मचारीगण और हिन्दुस्तान कयर के ऐसे कार्मिक जो रंगाई के कार्य में लगे हों।

[फा. सं. 6 (2)/84-आई. सी. सी.]

जी. वेंकटरमणन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल उपविधियां का. आ. सं. 4481 तारीख 21 नवम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इनका का. आ. सं. 4893 तारीख 19 अक्तूबर, 1985 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 3rd March, 1987

NOTIFICATION

S. O. 158 (E).—The following bye-laws to amend the Coir Board (Services) Bye-laws, 1983, made by the Coir Board in exercise of the powers conferred by section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), read with bye-law 15 of the Coir Board (Transaction of Business, Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) Bye-laws, 1955, and confirmed by the Central Government, are hereby published as required by sub-section (2) of the said section 27, namely:—

1. (1) These Bye-laws may be called the Coir Board (Services) Amendment Bye-laws, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Coir Board (Services) Bye-laws, 1983, after the entries relating to the post of 'Junior Auditor', the following entries shall be added, namely :—

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Helper (Dyeing)	Eight	'D'	Rs. 220-10-270	Selection	Not exceeding 35 yeras.	A pass in the Training Course of not less than six months duration conducted by the National Coir Training and Design Centre, with three years experience in dyeing.

Minimum qualification for promotion	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made
8	9	10
A pass in the Training Course of not less than six months duration conducted by the National Coir Training and Design Centre with two years experience in dyeing.	Promotion failing which by direct recruitment.	Staff on the scale of Rs. 196-232 and dyeing workers of Hindustan Coir.

[F. No. 6(2)/84-I.C.C.]

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

NOTE :

The principal Bye-laws were published vide No. S. O. 4481, dated, the 21st November, 1983, and this was amended by No. S. O. 4893, dated the 19th October, 1985.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987